

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 1807/2013 जिला अजमेर
 उनवान जो-सी-टी-टी, अजमेर vs. CTO W.S.T., अजमेर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

एस.बी
श्री मनोहरपुरी, सदस्य

१२.३.२०१५

व्यवसायी वकील श्री वी.के. गर्ग एवं विभागीय प्रतिनिधि
श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।

व्यवसायी वकील श्री वी.के. गर्ग ने प्रार्थना पत्र पेश कर
निवेदन किया है कि व विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार की
Amnesty स्कीम 2015 के तहत राहत लेना चाहते हैं। अतः
विचाराधीन प्रकरण को विद्धा करने का निवेदन किया। इस
पर विभागीय पैरोकार को कोई एतराज नहीं है।

अतः विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 1807/2013
जरिये विद्धा खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर